

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (503-VI)एनआरएचएम/एचआरडी/2017/ 120 दिनांक : 9-2-2017-

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान (सीफू) जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 2038 दिनांक 28.01.2016 के क्रम में **Optometrist** (ऑप्टोमीट्रिस्ट) के संविदा पद पर चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पदस्थापन स्थानों पर **रु 8000/- प्रतिमाह** समेकित मानदेय दर पर संविदा आधार पर नियुक्त किया जाकर एतद् द्वारा निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पदस्थान स्थान
1	श्री असलम खानं भाटी	श्री असगर खानं	जिला चूरु
2	श्री सरवेश कुमार शर्मा	श्री घनश्याम शर्मा	जिला बीकानेर
3	श्री योगेन्द्र सिंह चौहान	श्री जगबन्धन सिंह चौहान	जिला कोटा
4	श्री आदित्य छीपा	श्री कैलाश छीपा	जिला जयपुर प्रथम
5	निक्की कुमारी	श्री प्रेमपाल सिंह	जिला भरतपुर
6	श्री गोविन्द राठौड़	श्री बद्री लाल राठौड़	जिला चित्तौड़गढ़
7	श्री अनुज कुमार	श्री संतोष कुमार	जिला जालोर
8	नेहा शर्मा	श्री भवानी शर्मा	जिला भीलवाड़ा
9	श्री नागाराम मेघवाल	श्री दुर्गाजी मेघवाल	जिला जोधपुर
10	श्री दिनेश कुमार सैनी	श्री आशाराम सैनी	जिला अलवर
11	श्री देशराज ईनानियां	श्री शिव नारायण ईनानियां	जिला अजमेर
12	श्री महेश कुमार मीणा	श्री देवीनारायण मीणा	जिला उदयपुर

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी दिनांक से दिनांक 17.02.2017 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।


समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 20.02.2017 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी. co_hrd.nrhm@yahoo.com पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाइन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे। आदेश के साथ निर्धारित अनुबंध का प्रारूप, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

नव नियुक्त संविदा कार्मिको के लिये अनुबंध अवधि कार्यग्रहण तिथि से दिनांक 31.03.2017 तक के लिये होगी जो कि भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी। अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको के मूल दस्तावेजो की जाँच कर नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।


(अंजू राजपाल)
परियोजना निदेशक
एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (503-VI) एनआरएचएम/एचआरडी/2017/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वि० स्वा० विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, एनएचएम, जयपुर।
6. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक – प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
8. निदेशक-आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
9. निदेशक-राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
10. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
11. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
12. परियोजना निदेशक, आरबीएसके/एमएच/सीएच/इम्यूनाईजेशन/एफडब्ल्यू, एनएचएम।
13. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वर्णित जिलो को भेजकर लेख है कि संबंधित कार्मिक को कार्यग्रहण करवाकर अग्रिम कार्यवाही करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाये।
16. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, वर्णित जिले।
17. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, वर्णित जिले।
18. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनआरएचएम, वर्णित जिले।
19. वर्णित संविदा कार्मिको को पालनार्थ।
20. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितो को ई-मेल करने हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
एनएचएम